राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प. 17(2) शिक्षा–2/2003 जयपुर, दिनांक : 20/9/17

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय : वर्ष 2017–18 हेतु 6डी में चयनित शिक्षकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2017 तथा 13.06.2017

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त पत्रों द्वारा पंचायतीराज विभाग में कार्यरत शिक्षकों को राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम–1971 के नियम 6डी के अनुसार शिक्षा विभाग में लिये जाने के सम्बन्ध में सैट–अप परिवर्तन की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्समय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी को मध्यनजर रखते हुये सैट–अप परिविर्तन हेतु चयनित उक्त शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया था।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती से शिक्षक उपलब्ध होने के कारण चार जिलों बीकानेर, धौलपुर, पाली एवं राजसमन्द में लेवल–2 गणित/विज्ञान के रिक्त पद उपलब्ध शिक्षकों से कम प्रदर्शित हो रहे है। अत: उक्त चार जिलों बीकानेर, धौलपुर, पाली एवं राजसमन्द में यदि 6डी की कार्यवाही की जा चुकी है तो सैट–अप परिवर्तन हेतु 6डी की सूची में चयनित शिक्षकों में से लेवल–2 गणित/विज्ञान के आवश्यक रिक्त पदों की संख्या तक वरिष्ठतम शिक्षकों का पदस्थापन इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से 25.09.2017 तक कराया जाना सुनिश्चित करावें एवं यदि उक्त विषय की 6डी की कार्यवाही नहीं की गई है तो 6डी की कार्यवाही कर उक्त कार्यवाही दिनांक 25.09.2017 तक करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जावें कि कोई भी विद्यालय अध्यापक विहीन ना हो। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.04.2017 के अनुसार कार्यवाही करते हुये किसी अन्य अध्यापक के पदस्थापित होने पर सैट–अप परिवर्तन वाले अध्यापक को कार्यमुक्त किया जावें।

उक्त 6डी की सूची में चयनित दिव्यांग अध्यापकों एवं ऐसे अध्यापक जिनकी सेवानिवृति में 06 माह से कम का समय शेष है, को यथावत रहने अथवा सैट–अप परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया जा सकता है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
20.9.17
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
2. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा सम्भाग...
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा जिला.......................

20.9.17
शासन उप सचिव

C:\Users\User\Desktop\6d.docx

www.rajteachers.com